<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर</u>
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 166/11 (वाद)
GCMS No. : 2011/00314

अनवान

1. श्री टेकचन्द पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री अमरा पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय

2/1 श्रीमती बाबुडी पत्नी अमरा भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर ।

2/2 सुरेश पिता अमरा भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर।

3. मु. घीसी बेवा खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया. तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) मृतक
4. श्री भानिया उर्फ भाना पिता देवा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री हमेरा पिता देवा जी जाति भील मृतक के बजाय

5/1 श्रीमती पारीबाई पत्नि हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5/2 श्री पप्पु पिता हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) निवासी

5/3 श्री टिलाराम पिता हमेरा जी जाति भील, उम्र वयस्क बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) निवासी

5/4 श्री किशन पिता हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्री लालु उर्फ लालिया पिता देवा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

............वादीगण

बनाम

1. श्री लोगरिया पिता तारीया जाति भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर। मृतक
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी अधिवक्ता वादीगण ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक : 29.09.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 38, 39, 40, 41, 149, 150, 155, 156, 161, 162, 169, 174, 175, 176, 181, 186, 187, 520, 522, 595 किता 20 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी का खानदान सजरा निम्नानुसार है :–

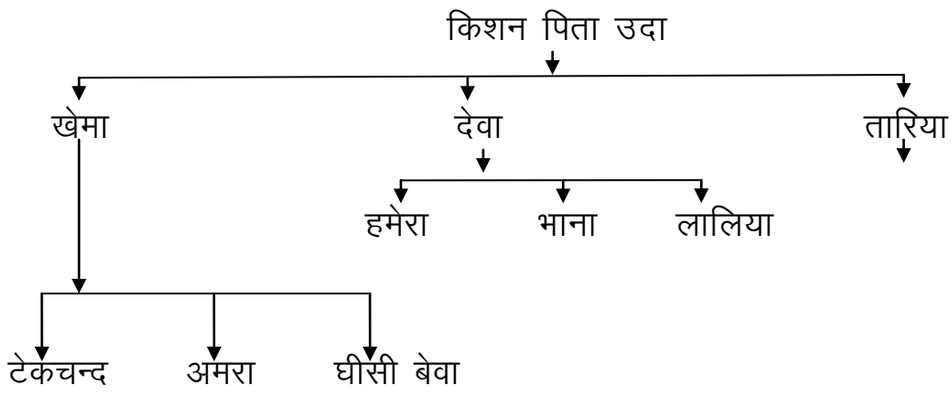

2. उक्त सजरे में बताये गये किशना, खेमा, देवा, तारिया की मृत्यु हो चुकी है। इनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी की मौरूसी जायदाद होकर किशना जी के नाम दर्ज थी व किशना जी की मृत्यु बाद जरिये फर्द इन्तकाल नम्बर 6 के विरासत से देवा, खेमा पिता किशना व लोगरिया पिता तारिया के नाम दर्ज हुई है। किशना के जीवनकाल में ही तारिया की मृत्यु हो गई। तारिया का वारिस प्रतिवादी लोगरिया है। किशना की मृत्यु बाद उक्त आराजी खेमा, देवा व लोगरिया में निहित हुई है। खेमा का 1/3 हिस्सा, देवा का 1/3 हिस्सा व लोगरिया का 1/3 हिस्सा होकर इसी हिस्से से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। खेमा की मृत्यु बाद खेमा के हिस्से की भूमि वादी नम्बर 1 से 3 में निहित हुई है तथा देवा का हिस्सा देवा की मृत्यु बाद वादी नम्बर 4, 5 व 6 में निहित हुआ है अर्थात् उक्त आराजीयात में वादी नम्बर 1, 2 व 3 का 1/3 हिस्सा, वादी नम्बर 4, 5 व 6 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी लोगरिया का 1/3 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी उक्त आराजीयात पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रतिवादी लोगरिया ने अपने 1/3 हिस्से में से आधी भूमि यानि 1/6 हिस्सा वादी नम्बर 1 व 2 को तथा आधी भूमि यानि 1/6 हिस्सा वादी नम्बर 4. 5 व 6 को तारीख 23–3–2011 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया, तब से वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। वादी नम्बर 1, 2 व 3 का पहले से उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित है व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी से खरीद है जिससे वादी नम्बर 1, 2 व 3 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा हो गया है व इसी तरह वादी नम्बर 4, 5 व 6 का पहले से 1/3 हिस्सा निहित है व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी से खरीदा है जिससे वादी नम्बर 4, 5 व 6 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न कब्जा है। वादीगण नम्बर 1 व 2 ने उक्त आराजीयात पर बीस वर्ष पहले कुंआ खोदा है व उक्त आराजी पर काफी खर्चा कर आबादान की है।

4. यह कि प्रतिवादी की जब उम्र 3–4 वर्ष की थी उस समय प्रतिवादी की मॉ प्रतिवादी को लेकर भारोडी लेकर चली गई, तब से प्रतिवादी भारोडी ही निवास कर रहा है तथा उक्त आराजीयात पर वादीगण व वादीगण के पिता ही इस पर काश्त करते चले आये हैं व प्रतिवादी ने अपने हिस्से की भूमि वादीगण को तारीख 23–3–2011 को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से विक्रय कर दी है जिससे प्रतिवादी का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। खातेदार किशना की मृत्यु बाद जो फर्द इन्तकाल नम्बर स्वीकृत किया गया है उसमें देवा, खेमा पिता किशना जी, लोगरिया पिता तारिया हिस्सा बराबर अंकित कर दिया है, जो गलत है, जबकि देवा का 1/3 हिस्सा, खेमा का 1/3 हिस्सा व लोगरिया का 1/3 हिस्सा अंकित करना चाहिये था तथा इसी तरह खेमा की मृत्यु बाद खेमा के वारिसान वादी नम्बर 1, 2 व 3 के नाम 1/4 हिस्सा व देवा की मृत्यु के बाद देवा के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा व लोगरिया पिता तारिया के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो भी गलत है, जबकि वास्तव में वादी नम्बर 1, 2 व 3 के नाम 1/3 हिस्सा, वादी नम्बर 4, 5 व 6 के नाम 1/3 हिस्सा व लोगरिया पिता तारिया के नाम 1/3 हिस्सा अंकित करना चाहिये व इसी हिस्सेनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी लोगरिया द्वारा अपना 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/6 हिस्सा व[illegible] 1 व 2 को व 1/6 हिस्सा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 4, 5 व 6 को तारीख 23–3–2011 को विक्रय कर देने से वादी नम्बर 1, 2 व 3 का 1/2 हिस्सा व वादी नम्बर 4, 5 व 6 का 1/2 हिस्सा हो गया है व इसी हिस्से अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होना चाहिये, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो जाने से प्रतिवादी लोगरिया के नाम 1/2 हिस्सा होने से लोगरिया द्वारा 1/3 हिस्सा विक्रय करने के बाद रेकर्ड में 1/6 हिस्सा शेष रह गया है जबकि वास्तव में लोगरिया का कोई हिस्सा शेष नहीं है एवं रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी उक्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा बताकर विक्रय करने पर आमादा है व वादीगण के मना करने पर भी नहीं मान रहा है अतः प्रतिवादी के नाम जो गलत इन्द्राज है उसे हटाया जाना आवश्यक है तथा वादी नम्बर 1, 2 व 3 को 1/2 हिस्से का व वादी नम्बर 4, 5 व 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना आवश्यक है व साथ ही प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उक्त भूमि को विक्रय करने व खुर्दबुर्द करने से रोका जाना आवश्यक है वरना प्रतिवादी उक्त आराजी किसी को हस्तान्तरण कर देगा व खुर्दबुर्द कर देगा जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

5. यह कि वाद कारण तारीख 1–6–2011 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादी ने उक्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा बताकर अन्य को हस्तान्तरण करने व खुर्दबुर्द करने की धमकी दी व वादीगण के मना करने पर भी नहीं माना।

6. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 1, 2 व 3 को तथा 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 4, 5 व 6 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादी के विरुद्ध इस अमर की निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की वाद की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, न उक्त आराजी किसी को किसी भी तरह से हस्तान्तरित ही करें, न खुर्दबुर्द करें। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने खानदान सजरा गलत प्रस्तुत किया है। वास्तविकता यह है कि मूल पुरूष उदा के दो संतान किशना व तारीया हुवे। किशना के खेमा व देवा दो पुत्र हुवे और तारिया के मैं प्रतिवादी पुत्र हुआ। इस प्रकार वादीगण ने सजरा खानदान का वाद पत्र में सही उल्लेख नही किया बल्कि किशना को मूल पुरूष बताते हुए सजरा खानदान बताया है। किशना, खेमा, तारीया, की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में मुझ प्रतिवादी का आधा हिस्सा व हमेरा, भानिया, लाललिया पिता देवा का 1/4 व खेमा पिता किशना का 1/4 हिस्सा अंकित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी की मौरूसी जायदाद होकर उदाजी के नाम पर थी और उदा जी की मृत्यु के पश्चात किशनजी के नाम दर्ज हुई और किशनजी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम अंकित हुई। मुझ प्रतिवादी के पिता तारीया का आधा हिस्सा था और आधा हिस्सेनुसार ही मैं अपने पूर्वजो के समय से ही उनकी मृत्यु पश्चात मेरे नाम पर अंकित होने पर काबिज हो निरन्तर निर्विवाद काश्त करता आ रहा हूं। प्रतिवादी के आधे हिस्से पर वादीगण ने कभी कोई काश्त नही की बल्कि उसने अपने हिस्से में से कुछ जमीन वादीगण को विक्रय कर दी व शेष जमीन उसके कब्जे काश्त में है जिसे वादीगण हड़पने की नियत से उसको अकेला देख कब्जा करना चाह रहे है। विक्रय करने के पश्चात जो जमीन शेष है उस पर वह काबिज हो काश्त करता आ रहा है। अगर प्रतिवादी का कब्जा नही होता तो वह वादीगण को अपने हक व हिस्से की जमीन में से दिनांक 23.03.2011 को उपरोक्त काश्त की जमीन में से जमीन किस प्रकार विक्रय करता। उक्त वर्णित भूमि में मुझ प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा अंकित होकर कब्जे काश्त था। इसलिए मैंने श्री टेकचन्द, अमरा पिता खेमा भील निवासी बांसलिया एवं श्री भाना, हमेरा, लालू पिता देवा भील को 3,50,000 रूपये में विक्रय की। वादीगण ने जानबुझकर अपने नाम पर नामान्तरकरण नही खुला सम्पूर्ण जायदाद का मेरे विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। अंत में निवेदन किया की वादीगण का वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

8. दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 का लाऔलाद निधन हो जाने से द्वितीय श्रेणी के वारिस स्वयं वादीगण ही होने से वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी प्रस्तुत कर तहसीलदार मावली को पक्षकार मुकद्धमा बनाया गया। प्रकरण राज्य हित नही होने से राजपैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी स्वयं टेकचन्द पिता खेमा भील निवासी बांसलिया तहसील मावली का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात जमाबन्दी नकल सम्वत् 2064–67 मौजा बांसलिया की खाता सं. 189 प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2038–42 मौजा बासंलिया की खाता सं 90 प्रदर्श 2, भू.प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल मौजा बांसलिया की खाता सं. 72 प्रदर्श 3, मौजा बांसलिया का मिलान पत्रक सम्वत् 2023 की नकल प्रदर्श 4 मेवाड बन्दोबस्त की जमाबन्दी नकल सम्वत् 1989 मौजा बांसलिया प्रदर्श 5, मेवाड बन्दोबस्त की जमाबन्दी नकल सम्वत् 1989 मौजा बांसलिया प्रदर्श 6 पेश करना बताकर प्रदर्श करवाए गए। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 2 भानीया उर्फ भाना पिता देवा भील निवासी बांसलिया तहसील मावली का शपथ पेश किया गया।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा बांसलिया तहसील डबोक की नकल जमाबंदी संवत 2064–67 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 38, 39, 40, 41, 149, 150, 155, 156, 161, 162, 169, 174, 175, 176, 181, 186, 187, 520, 522, 595 किता 20 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि हमेरा, भानीया, लालिया पिता देवा के नाम 1/4 हि.ब., खेमा पिता किशना 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 लोगरिया पिता तारिया 1/2 भील सा.देह के नाम दर्ज थी। प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2038–41 के खाता संख्या 90 पर भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी। प्रदर्श – 4 भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक संवत 2023 के कॉलम संख्या 23 अनुसार वादग्रस्त भूमि किशना पिता उदा भील के नाम दर्ज थी जो कॉलम संख्या 24 एवं 25 के अनुसार देवा, खेमा पिता किशना एवं लोगरिया पिता तारिया के नाम [illegible]काल नम्बर 6 से दर्ज हुई। उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात लगभग 45 वर्ष बाद खेमा के वारिसान टेकचन्द व अमरा तथा देवा के वारिसान भाना, हमेरा, लालु (जो वाद में वादीगण है) के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में कुछ हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित अनुसार उक्त में लोगरिया पिता तारिया का 1/2 हिस्सा होना एवं कलम संख्या 2 में प्रथम पक्षकार विक्रेता अर्थात लोगरिया पिता तारिया की सम्पूर्ण हक व हिस्सा कृषि भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग, रहन, बैह बक्षीस या अन्य किसी प्रकार से हस्तांरित व अन्तरण करने का पुरा पुरा हक व अधिकार होना स्वीकार किया है। अर्थात वादीगण स्वयं द्वारा ही वादग्रस्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा होना स्वीकार कर चुके थे। उसके पश्चात यह वाद प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व किशना वल्द उदा भील के नाम दर्ज थी, जो भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक अनुसार सेटलमेंट के दौरान फर्द इन्तकाल नम्बर 6 से प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज हुई। फर्द इन्तकाल से ही स्पष्ट हो सकता है कि उक्त भूमि किस कारण वादीगण के मौरूस के नाम 1/2 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हुई है। फर्द इन्तकाल की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गई। जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण न्यायालय से कुछ छुपाना चाह रहे है अर्थात वादीगण द्वारा स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से को वादीगण के मौरूस खेमा एवं देवा ने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नही देना तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा स्वीकार करने के पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत करना वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित है। विलेख द्वारा विबंधन के सिद्वान्त में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा निष्पादित विलेख में वर्णित किसी तथ्य की सत्यता से इनकार करने से रोकता है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से जो भूमि क्रय की थी उसका नामान्तकरण पारित करवा अपने [illegible] करवा ली है। उसके पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज शेष हिस्सा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया। जिसका भी नामान्तकरण पारित हो गया। अन्य व्यक्ति को किये गये विक्रय के नामान्तकरण की अपील वादीगण द्वारा की गई। इससे स्पष्ट है कि वादीगण को यह जानकारी थी की प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज शेष हिस्सा भी किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है उसके पश्चात भी क्रेता को पक्षकार नही बनाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लाऔलाद फौत हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान वादीगण स्वयं को ही बताते हुए प्रतिवादी संख्या के नाम तर्क करवाया गया। उसके पश्चात राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया। न्यायालय का मानना है कि वादीगण के वाद प्रस्तुत करते समय ही राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाना चाहिए था। क्योंकि कृषि भूमि के वाद में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार का हित नही है। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की जगह हितबद्ध पक्षकार क्रेता को पक्षकार बनाना चाहिए था। इस कारण से पक्षकारो के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है। न्यायालय का मानना है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के पारिवारिक विवाद होने से केवल मात्र सदभावी क्रेता के हक हिस्से को प्रभावित करना चाहते है। जो कि न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत बाधित होने, दस्तावेज के अभाव एवं हितबद्ध पक्षकारो के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत बाधित होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री टेकचन्द पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री अमरा पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय

2/1 श्रीमती बाबुडी पत्नी अमरा भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर ।

2/2 सुरेश पिता अमरा भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर।

3. मु. घीसी बेवा खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया. तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) मृतक
4. श्री भानिया उर्फ भाना पिता देवा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री हमेरा पिता देवा जी जाति भील मृतक के बजाय

5/1 श्रीमती पारीबाई पत्नि हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5/2 श्री पप्पु पिता हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) निवासी

5/3 श्री टिलाराम पिता हमेरा जी जाति भील, उम्र वयस्क बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) निवासी

5/4 श्री किशन पिता हमेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्री लालु उर्फ लालिया पिता देवा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बासलिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री लोगरिया पिता तारीया जाति भील निवासी बासलिया तहसील मावली जिला उदयपुर। मृतक
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या : 166/11 (वाद)

GCMS No. : 2011/00314

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत बाधित होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested